रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1988/माघ 22, 1909
No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1988/MAGHA 22, 1909

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 84(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15 वां) की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। यथा:—

1. (i) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन नियम 1988) कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची 1 में—

(क) क्रम संख्या 1 के और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी। यथा:—

"1(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)	गुजरात राज्य और दीव संघ शासित प्रदेश।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)	गुजरात राज्य और दीव संघ शासित प्रदेश
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, अहमदाबाद, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)	गुजरात राज्य और दीव संघ शासित प्रदेश
(घ) अधीक्षक, अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)	गुजरात राज्य और दीव संघ शासित प्रदेश "

(ख) क्रम संख्या 7 के तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी। यथा:—

"7(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	महाराष्ट्र राज्य तथा दमण और दादर एवं नागर हवेली संघ शासित प्रदेश
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	महाराष्ट्र राज्य तथा दमण और दादर एवं नागर हवेली संघ शासित प्रदेश

(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	महाराष्ट्र राज्य तथा दमन और दादर एवं नागर हवेली संघ शासित प्रदेश
(घ) अधीक्षक, बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	महाराष्ट्र राज्य तथा दमन और दादर एवं नागर हवेली संघ शासित प्रदेश "

क्रम संख्या 17 के तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी यथा :—

"17(क) पासपोर्ट अधिकारी, पणजी, (पासपोर्ट कार्यालय, पणजी)	गोवा राज्य
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, पणजी (पासपोर्ट कार्यालय, पणजी)	गोवा राज्य
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, पणजी (पासपोर्ट कार्यालय, पणजी)	गोवा राज्य
(घ) अधीक्षक, पणजी (पासपोर्ट कार्यालय, पणजी)	गोवा राज्य"

[सं. V. IV/55'/10/88]

सईद अहमद खान, उप सचिव (पी वी)

नोट:—

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(ई) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980) का असाधारण राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित मुख्य नियम।

(1) अधिसूचना सं सा का नि. 50(ई) दिनांक 7-2-1981

(2) अधिसूचना सं सा का.नि 469 (ई) दिनांक 2-6-82

(3) अधिसूचना सं. सा का.नि 375 (ई) दिनांक 12-4-1983

(4) अधिसूचना सं. सा.का. नि. 494(ई) दिनांक 16-6- 983

(5) अधिसूचना स. सा का नि 860(ई) दिनांक 1-11-1985

(6) अधिसूचना स. सा का नि. 857(ई) दिनांक 13-10-1987

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, 11th February, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 84(E) :—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980 namely :

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule 1 to the Passport Rules, 1980,

(a) for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"1. (a)	Regional Passport Officer, Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad).	— The State of Gujarat and the Union territory of Diu.
(b)	Assistant Passport Officer Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad).	— The State of Gujarat and the Union territory of Diu.
(c)	Public Relations Officer, Ahmedabad, (Regional Passport Office, Ahmedabad)	— The State of Gujarat and the Union territory of Diu.
(d)	Superintendent, Ahmedabad (Regional Passport Office, Ahmedabad).	— The State of Gujarat and the Union territory of Diu";

(b) For serial No. 7 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted namely :—

"7 (a)	Regional Passport Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay).	— The State of Maharashtra and the Union territory of Daman and Dadra and Nagar Haveli.
(b)	Assistant Passport Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay).	— The State of Maharashtra and the Union territory of Daman and Dadra and Nagar Haveli.
(c)	Public Relations Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay.)	— The State of Maharashtra and the Union territory of Daman and Dadra and Nagar Haveli.
(d)	Superintendent, Bombay, (Regional Passport Office, Bombay).	— The State of Maharashtra and the Union territory of Daman and Dadra and Nagar Haveli";

(C) For serial No. 17 and the entries relating thereto the following serial No. and entries shall be substituted namely:—

"17. (a)	Passport Officer, Panaji. (Passport Office, Panaji).	— The State of Goa.
(b)	Assistant Passport Officer, Panaji. (Passport Office, Panaji.).	— The State of Goa.

IndiaCode

(c) Public Relations Officer, Panaji. (Passport Office, Panaji). — The State of Goa.

(d) Superintendent, Panaji, (Passport Office, Panaji). — The State of Goa."

[No V. IV/551/10/88]

SAYEED AHMAD KHAN, Dy. Secy. (PV).

NOTE : Principal rules published vide Notification No. GSR 691 (E) dated 11th December 1980, Gazette of 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (1).

(1) Notification GSR 50(E) dated 7-2-1981

(2) Notification No GSR 469(E) dated 2-6-1982.

(3) Notification No GSR 325(E) dated 12-4-1983.

(4) Notification No GSR 494(E) dated 16-6-1983.

(5) Notification No GSR 860 (E) dated 01-11-1985.

(6) Notification No GSR 857(E) dated 13-10-1987.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

IndiaCode